


भारतीय गैर न्यायिक


एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



HUI



भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GH 267467

(प्रमाण-पत्र) वाक्य-पत्र

हम श्रीमती सुनील कुमारी एवं श्रीमान अमित कुमार हमारा जन्मदिन 15/05/1985 एवं 10/08/1988 तारीख मेरठ जिला उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ जिला मेरठ जिला उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म प्राप्त किया है।

1. कि हमें एक श्रीमान अमित कुमार नामक व्यक्ति का बालक नाम अमित कुमार नामक विधवा इन दोनों संख्याओं की सहायता से 2023-24 में किया जाने परमादि है।

हम कि हमारे द्वारा अमित कुमार जो अमित कुमार नाम अमित कुमार के साथ 134 में हुए 2,76,76 के बारे में

Sworn & Verified Before Me

R. C. VERMA

NOTARY
Ludhiana
Date

में कि उपरोक्त मुझे पर किसी प्रकार का कोई भी बंध किसी भी न्यायालय में नहीं पड़ रहा है और मुझे विचार रहित है।

हम कि उपरोक्त पते पर अमित कुमार के नाम अमित कुमार मुझे के साथ 134 रकम 2,76,76 कि हम उपरोक्त नाम की किसी भी न्यायालय में

विशेष संस्था की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव अमित कुमार को अमित कुमार द्वारा अमित कुमार द्वारा अमित कुमार से।

अमित कुमार



- 5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित विद्यालयी परिसरों के संयोजन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
- 6. यह कि निर्माण समिति के समक्ष उपरोक्त प्लान पर ट्रस्ट के तार ग्रीस एवं उस पर निर्मित एवं निर्दिष्ट भवनों को ही निर्माण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 7. यह कि इस ग्रीस एवं ट्रस्ट पर निर्मित भवनों पर भवनों पर फाईवी कार्टेसिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली की नियतों के अंतर्गत ही डिप्लोमा कार्टेसिल परिसरों का ही संयोजन किया जाएगा।
- 8. यह कि इस संस्थान में फाईवी कार्टेसिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रयोग प्रणाली के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 9. यह कि उपरोक्त भूमि पर इस पर निर्मित भवनों में फाईवी कार्टेसिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अखण्ड से सम्बद्ध संस्था एवं संयोजकों से अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/कॉलेज/कॉन्वेंट आदि का संयोजन न ही पूर्ण में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
- 10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, ज्योमशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फाईवी कार्टेसिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
- 11. यह कि संस्था में संयोजन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्थापना की योजनाएँ ट्रस्ट/सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ से पूर्व कर लिया जाएगा।
- 12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का पालन/पालने वाला करेगा। यदि भेरे संस्थान में किसी भी सत्रा स्थायीय निरीक्षण में पायागानुसार कोई भी कमी कमी पायी है तो परिषद को निरीक्षण एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिखा गया निवेदन आयोग होगा एवं मुझे सूचना होगी। इस हेतु भेरे द्वारा कोई विधिक कार्रवाही नहीं की जाएगी।
- 13. वे घोषणा करता/करती है कि भेरे द्वारा ही सभी आवश्यक सूचना भेरे निजी आधिकारी से पूर्ण रूप से प्राप्त है। यदि कोई शकी जानकारी एवं अनिलेख/दस्तावेज कभी, कूटनीयता अथवा भ्रष्टाचार पाये जाते हैं तो भेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निगमानुसार कानून, संसद कार्रवाही की जा सकती है। एसी ही सभी विधिक कार्रवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

R.C. VERMA
 HOD/IN-charge
 Class

ED

Signature and Identity of the department etc.
 Has signed per T.C. Verma etc.

अध्यापक
 30 सप्टेम्बर